

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-2/स्थानान्तरण/इतिहास/ 2019-20/ दिनांक-29.09.2019 के तहत कृष्ण कुमार पाराशर व्याख्याता इतिहास का स्थानान्तरण राउमावि, मालावालासे राउमावि, पूनम नगर सम, जैसलमेर किया गया। कृष्ण कुमार पाराशर ने अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4083/2019 कृष्ण कुण्णर पाराशर बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

माननीय अधिकरण के निर्णय/आदेश दिनांक 11.12.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में रिक्त पदों को दर्शाते हुए एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं विभाग स्थानान्तरण पर लगी रोक हट जाने के बाद सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए सकारण आदेश करने हेतु निर्देशित किया गया है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी कृष्ण कुमार पाराशर ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं का स्थानान्तरण 700 कि.मी दूर होने, अपीलार्थी के कॉलर योन में फेचर होने के एवं वृद्ध माताजी की देखभाल करने के आधार पर रिक्त पद:- 1. राउमावि, रामसर पालावाला जयपुर 2. राउमावि, कोटखावदा, जयपुर 3. राउमावि, रूपाहेडी कर्लो, जयपुर 4. राउमावि, पावटा, जयपुर 5. जयपुर शहर/जिला के रिक्त पद की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

यह विधि सुरथापित सिद्धान्त है कि लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए किए गए स्थानान्तरण आदेश में राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 एवं सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। उक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत यथावत/वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाये जाने के आधार पर एतद्वारा खारिज किया जाकर निरस्तारित किया जाता है।


सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।


(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 27/01/2020

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-2/अभ्यावेदन/कृष्ण कुमार/को.के/20-21
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सॉफ्टवेयर एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्रधानाचार्य
8. संबंधित कार्मिक
9. गार्ड पंजिका।


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर